तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 02/2017(08/15)** **सीआईएस संख्या 16/2015** **कृष्ण गोपाल नवाल बनाम श्रीमती शिल्पा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 राजस्थान स्टाम्प एक्ट पूर्व में सुनी जा चुकी है। जिसका इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि जिस तहरीर दिनांक 30.11.2013 को वादी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाना चाहता है, वह दस्तावेज बॉण्ड की परिभाषा में आता है। जिस पर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी भुगतान किये बिना उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में उक्त दस्तावेज में स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी गयी है। अतः दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। अतः प्रदर्श नहीं डालने बाबत आदेशित किया जावे। साथ ही बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये। 1. M/S Hari Om Enterprises vs Court of ADJ (FT) NO. 4 Ajmer, 2011(3) WLC (Raj.) 466 2. Santsingh vs Madandas Panika & Ors AIR 1976 (MP) 144 जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा गलत तौर पर उक्त दस्तावेज को बॉण्ड होना बताया गया है, जबकि वह सिर्फ एक तहरीर है, जिस पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। बॉण्ड में केवल 2 पक्षकार होते है, लेकिन गारण्टी पत्र में 3 पक्षकार होते है। उक्त दस्तावेज गारण्टी पत्र की श्रेणी में आता हैं, केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से उक्त निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधनों का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान पूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध रकम वसूली बाबत पेश किया गया है। जिस लिखत के संबंध में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसके अवलोकन से दर्शित है कि उक्त लिखत में प्रतिवादी सं. 1 शिल्पा द्वारा अपने पति प्रतिवादी सं. 2 मितेश नाराणीवाल द्वारा उधार ली गयी राशि लिखित से 2 माह के भीतर नहीं चुकाने पर स्वयं द्वारा उक्त राशि भुगतान हेतु जिम्मेदारी ली गयी है। जिस पर स्वयं एवं दो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये है। जहां तक उक्त दस्तावेज बॉण्ड होने का प्रश्न है, राजस्थान	

	स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (vi) में बॉण्ड को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है– (vi) '''**बंध–पत्र'' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं.–** (क) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धन का संदाय करने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्य करता है कि यदि विनिर्दिष्ट कार्य किया गया या, यथास्थिति, नहीं किया गया तो वह बाध्यता शून्य हो जायेगी, (ख) कोई लिखत जो अनुप्रमाणित है और जो आदेशानुसार या वाहक को देय नहीं है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धनराशि का संदाय करने के लिए अपने को बाध्य करता है, और, (ग) कोई लिखत जो अनुप्रमाणित है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनाज या अन्य कृषि उपज परिदत्त करने के लिए अपने को बाध्य करता है, स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजनार्थ ''अनुप्रमाणित'' से ऐसे एक या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादन को लिखत पर हस्ताक्षर करते हुए या अपनी निशानी लगाते हुए देखा है या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है, या निष्पादक ऐसे हस्ताक्षर या निशानी की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है, और जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किये हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित रहे हों, न ही कोई विशेष प्रकार का अनुप्रमाणन आवश्यक होगा, जहां तक अपर्याप्त तौर पर स्टाम्पित दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय किये जाने का प्रश्न है, धारा 39 राजस्थान स्टाम्प में यह प्रावधान किया गया है कि– **धारा 39. सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गयी लिखतें साक्ष्य आदि में ग्राह्य हैं–**इस अधिनियम के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक रूप में स्टाम्पित नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जायेगीः परन्तु– (क) कोई ऐसी, लिखत, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित का संदाय करने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी,– (i) वह शुल्क जिससे वह प्रभार्य है या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखत की दशा में, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, और (ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके	

	भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी। (ख) जहाँ किसी प्रकार की कोई संविदा या करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने पत्र–व्यवहार द्वारा प्रभावी होता है और पत्रों में से किसी एक पर उचित स्टाम्प लगा है, वहाँ उस संविदा या करार की बाबत यह समझा जायेगा कि सम्यक् रूप से स्टाम्पित है, (ग) इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किया जाने से निवारित नहीं करेगी, (घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से तब निवारित नहीं करेगी जबकि ऐसी लिखत सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गयी है या जहाँ उस पर इस अधिनियम की धारा 36 या किसी अन्य उपबंध द्वारा यथा–उपबंधित कलक्टर का प्रमाण–पत्र है, (ङ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी लिखत की प्रति या किसी लिखत की अन्तर्वस्तु के मौखिक विवरण को ग्रहण करने से निवारित नहीं करेगी यदि स्टाम्प शुल्क या कमी वाले भाग के स्टाम्प शुल्क और खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट शास्ति का संदाय कर दिया जाये: (च) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात. किसी न्यायालय में किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने से तब निवारित नहीं करेग जब ऐसी लिखत पर पूर्व में ही स्टाम्प शुल्क का अग्रिम संदाय समेकित एकमुश्त के रूप में कर दिया गया है, (छ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से तब निवारित नहीं करेगी जब ऐसा दस्तावेज सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया है या जहाँ इस पर अधिनियम की धारा 36 द्वारा या किसी अन्य उपबंध द्वारा यथा–उपबंधित कलक्टर का प्रमाण–पत्र हो। वहीं धारा 37 में अपर्याप्त स्टाम्पित दस्तावेजों की जाचं एवं इम्पाउण्ड करने के सम्बंध में प्रावधान किया गया है। जहां तक प्रश्नगत दस्तावेज का प्रश्न है, प्रश्नगत दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त दस्तावेज द्वारा जिस पर की तहरीरनामा लिखा हुआ है, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने पति प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी की माता श्रीमती शांता देवी से उधार ली गयी 5 लाख रूपये की राशि दो माह के अन्दर पति द्वारा अदा नहीं करने पर शांता देवी को राशि अदा करने बाबत खुद को पाबन्द किया गया है। जहां तक किसी दस्तावेज बॉण्ड होने का प्रश्न है, धारा 2(vi) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **M/S Hari Om Enterprises vs Court of ADJ (FT)** एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **Santsingh vs Madandas Panika & Ors** वाले प्रकरण में बॉण्ड और वचन पत्र के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुये किसी दस्तावेज के बॉण्ड होने के सम्बंध में निम्न आवश्यक तत्व बताये गये है– (1) There must be an undertaking to pay,	

(2) The sum should be a sum of money but not necessarily certain;
(3) The payment will be to another person named in the instrument;
(4) The maker should sign it;
(5) The instrument must be attested by a witness; and (6) It must not be payable to order or bearer.

जहां तक उक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में प्रश्नगत दस्तावेज का प्रश्न है, प्रश्नगत दस्तावेज में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वयं को सशर्त अपने पति द्वारा उधार ली गयी राशि का भुगतान करने हेतु बाध्य किया गया है तथा उस पर हस्ताक्षर किये गये है तथा उक्त लिखत 2 गवाहान से अनुप्रमाणित करवायी गयी है तथा इस लिखत के माध्यम से धारक को आदेश पर भुगतान होना दर्शित नहीं है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में उक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में प्रश्नगत लिखावट बॉण्ड की परिभाषा में समाहित होना दर्शित है, जो कि 100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाना दर्शित है तथा राजस्थान स्टाम्प एक्ट की 1998 में संलग्न अनुसूची अनुसार बंध पत्र पर 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होना दर्शित किया गया है। प्रश्नगत लिखावट 5 लाख रूपये बाबत केवल मात्र 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखा जाना दर्शित है, जो कि पूर्णतः स्टाम्पित होना प्रतीत नहीं होता है तथा चूंकि उक्त दस्तावेज के आधार पर वसूली बाबत वाद पेश किया गया है अतः प्रश्नगत दस्तावेज उचित स्टाम्प पर निष्पादित होना दर्शित नहीं होने से उसे इस स्तर पर साक्ष्य हेतु ग्राहय करने हेतु अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा 35 राजस्थान स्टाम्प एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश मे स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती है। जिस बाबत समय चाहा। प्रकरण अत्यधिक पुराना है, आईन्दा आवश्यक रूप से साक्ष्य वादी पेश करे। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, अजमेर